

आर

Affordable Housing



राजस्थान सरकार की
मुख्यमंत्री जन आवास योजना

Hope for a better **future**

REGISTRATION
FORM



विशेष सुख-सुविधाएँ

the graceful
amenities
of society

- महिंद्रा सेज के पास
- कम्युनिटी सेन्टर
- चिकित्सा सुविधा
- जनरल स्टोर
- २४ घंटे सुरक्षा
- चिल्ड्रेन प्ले एरिया
- जिम
- योगास्थल
- शोपिंग सेन्टर
- हाई स्पीड एलीवेटर
- जोगिंग ट्रैक
- मेडिकल स्टोर
- लांड्री
- फ्री पार्किंग
- ट्रांसपोर्ट सुविधा
- पावर बैकअप
- ई-मित्र
- चोपाल
- कमर्शियल प्लाजा
- डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी

आवेदन क्रमांक : SBH

॥ श्री गणेश ॥

Samanvay Buildhome

पंजीयन योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर

व

अल्प आय वर्ग के फ्लैटों के लिये

मुख्य बिन्दु :-

1. जिस आय के लिये आवेदन किया जा रहा है उसके अनुसार पंजीयन की पूर्ण राशि का बैंकर चैक/डी.डी. जो **Samanvay Buildhome** के पक्ष में जयपुर स्थित किसी भी बैंक में देय हो, आवेदन पत्र के साथ मय चालान की प्रति संलग्न कर दिया गया है।
2. आय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न कर दिया है।
3. आवेदन पत्र पूर्ण भर दिया है जो भी सूचना मांगी गयी है सभी पूर्ण कर दी है।
4. प्रत्येक की पहचान के लिये आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड/मतदाता पहचान कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/पेन कार्ड इत्यादि की प्रति लगा दी गई है।
5. यह योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015 के अन्तर्गत है। अतः सभी नियम व शर्त उक्त योजना के लागू होंगे।
6. ब्याज सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जो कि नेशनल हाऊसिंग बैंक (NHB) या हाउसिंग अरबन डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) द्वारा ऋण खाते में सीधे जमा की जायेगी।

फार्म मिलने व जमा कराने का स्थान

लोन एवं सब्सिडी

1. भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार ऋण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अल्प आय वर्ग (LIG) के लाभार्थी को बैंक से ऋण प्राप्ति पर 6.5 प्रतिशत की दर पर 15 वर्षों की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान, इसमें जो कम हो, के लिए ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीबी) ऋण संस्था के माध्यम से अग्रिम रूप से लाभार्थी के ऋण खाते में जमा करा दी जाएगी।
2. EWS/LIG के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण के अधिकतम रु. 6,00,000/- पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। रु. 6,00,000/- से अधिक की ऋण राशि अनुदान रहित होगी।
3. ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है जिसके लिए कम्पनी का कोई दायित्व नहीं है। योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अंतर्गत ही होगा।
4. आवंटन पत्र के आधार पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग / अल्प आय वर्ग के सफल आवेदकों को अनुदान बैंक के माध्यम से भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की CLSS (Credit Link Subsidy Scheme) योजना के अंतर्गत अधिकतम रुपये की 600000 /- राशि अनुदानित ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाया जायेगा।
5. ऋण आधारित सब्सिडी ऋण दाताओं के संस्थानों के माध्यम से लाभार्थी के खातों में अग्रिम रूप से जमा होगी जिससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किस्त (EMI) में कमी आएगी।
6. आवंटन पत्र द्वारा ऋण की सुविधा नहीं प्राप्त करने की स्थिति में स्वयं के स्ट्रॉतो से फ्लैट की सम्पूर्ण देय राशि कम्पनी द्वारा जारी आवंटन में निर्धारित तिथि अनुसार करानी होगी एवं आवंटन भारत सरकार की योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
7. ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के खाते में नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा प्रेषित करने पर जमा हो जायेगी।
8. ऋण बैंक की शर्तों अनुसार अधिकतम 90 प्रतिशत तक मिल सकता है।
9. ऋण के लिये बैंक की शर्तें लागू होंगी।
10. आवेदक / संयुक्त आवेदक में महिला होना आवश्यक है।

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें

!! श्री !!

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :-

1. आवेदक की आयु आवेदने भरने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2. इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदन के समय मूल निवास का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा या मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
(1) यदि राजस्थान निवासी के उचित आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो वो भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं जो कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से उस शहर अथवा कस्बे में निवास कर रहा हो, जहां के लिए आवेदन किया है एवं आवेदनकर्ता को उसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशानुसार लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय निम्न प्रकार से हो :
EWS (Economically Weaker Section) Upto 3,00,000/-
LIG (Lower Income Group) 3,00,000 to 6,00,000/-
4. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना वित्तिय वर्ष 2014-15 की प्रमाणित वार्षिक सकल आय पर निर्भर होगी। आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति-पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित किया जायेगा। कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।
(अ) स्वयं के लिए –
 1. वेतन
 2. विशेष वेतन
 3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
 4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
 5. गृह / सम्पत्ति / व्यापार से आय
 6. विनियोग से ब्याज
 7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।
(ब) आवेदक की पत्नी / पति की आय उपरोक्तनुसार।
(स) आवेदक की आश्रित की आय उपरोक्तनुसार।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत आवेदक के पास लीज होल्ड या फ्री होल्ड स्वयं के, पत्नी के और किसी आश्रित सदस्य (अविवाहित बच्चों सहित) के नाम शहरी क्षेत्र में मकान या प्लॉट न हो जिसका शपथ पत्र आवंटन के साथ देना होगा।

6. वार्षिक आय (पति/पत्नि/आश्रितों के आय) के आधार पर आवंटन हेतु पंजीकरण के लिए पात्रता एवं आय नीचे दी गयी वर्ग तालिका में दर्शाई गई है।

	साइज	रजि. राशि	कुल कीमत (रु)	आय (वार्षिक)
EWS	1 BHK 383 sq.ft.	80,000/- रु	890500 रु	3.00 लाख तक
LIG-1	2 BHK 557 sq.ft.	1,30,000/- रु	1295000 रु	3.00 लाख से 6.00 लाख तक
LIG-2	2 BHK 600 sq.ft.	1,40,000/- रु	1395000 रु	3.00 लाख से 6.00 लाख तक

7. वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/मुनिसिपल ऑफिसर/एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को एवं वरिष्ठ नागरिक, आवेदक को भूतल एवं नीचे तल पर आवास में प्राथमिकता दी जायेगी।
9. इस योजना के अन्तर्गत पति अथवा पत्नि एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही फ्लैट आवंटन की पात्रता रखेगा।
10. इस योजना के अन्तर्गत आवंटित मकान का कब्जा प्राप्त होने के 1 साल के भीतर आपको रहने आना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर किसी अन्य को आवंटित कर दिया जाएगा।
11. कम्पनी द्वारा एक शहर में एक ही समय विभिन्न वृत्तों में एक साथ योजनाएं आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छिपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आयेगा तो एक आवास स्वयं/स्वतः निरस्त योग्य रहेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।
12. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी/एल.एल.पी. के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
13. आवेदकों को यदि समूह में (Bulk Booking) आवासों की मांग है, तो आवासों की उपलब्धि के अनुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।
14. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे कम्पनी द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक आपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त किया गया है तथा न ही उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।
15. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताए नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा कम्पनी के प्रचलित नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

16. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) लिफ्ट अहाते की दीवार, बगीचे, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों को एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसायटी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सोसायटी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बाबत आवंटन के समय आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के लिए सोसायटी द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। जो कि सोसायटी के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जायेगी। रख-रखाव खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय का शपथ पत्र देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जायेगा।
17. आवेदकों की वरियता एवं आवंटन सूची कम्पनी के द्वारा जारी की जायेगी।
18. यदि आवेदक का पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी कमी के कारण से कम्पनी द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है तो आवेदक की जमा राशि रेखांकित बैंक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का कम्पनी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
19. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित बैंक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
20. प्राकृतिक आपदा एवं सरकारी घटनाक्रम के कारण प्रोजेक्ट में देरी होती है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।
21. **रिफण्ड :-**
- (1) यदि आवेदक पूर्व ग्रहण (मांग पत्र) राशि का पत्र जारी होने के पश्चात् राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (2) असफल आवेदक की राशि बैंक द्वारा बिना ब्याज के लॉटरी के 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के द्वारा भेज दी जायेगी।
22. प्रस्तावित योजना यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अंतिम लॉटरी निकलने के छः माह में फ्लैटों का निर्माण कार्य चालु नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
23. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्र के माध्यम से और कम्पनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
24. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किये जाने के पश्चात् आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र सूचित किया जावेगा। उक्त मांग राशि 30 दिवस में जमा करानी होगी। राशि जमा नहीं कराने पर आवास स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के आवेदनकर्ता के पते पर रजि. डाक द्वारा/कोरियर के जरिये रेखांकित बैंक के द्वारा भेज दिया जायेगा।

25. इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का कब्जा मिलने के पश्चात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा मांगे जाने पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों को पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों का पालन करना होगा, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
26. यदि आवेदक, शपथ पत्र / आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी कम्पनी ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगी। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
27. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चारी हो जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग / फिक्सचर आदि का कार्य कम्पनी द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा:—
1. विद्युत फिटिंग / फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम रंग— यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो
28. कम्पनी अपनी योजनाओं / आवासों में परिवर्तन / परिवर्द्धन कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियों उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कम्पनी योजना में प्रस्तावित स्थान में फ्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर के अन्य योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगी तथा इसी विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले फ्लैट प्रस्तावित डिजाईन / स्पेसिफि केशन / साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा।
29. पंजीकरण / आवंटन कम्पनी द्वारा बनाये गये नियमों / आदेशों / उप-बन्धों / परिपत्रों के तहत होगा। कम्पनी अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों को बनाने / परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजीकृत आवेदकों / आवंटियों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
30. इस योजना में आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी स्टेज पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
31. पंजीकरण की राशि बैंक डी.डी. / बैंकर चैक के द्वारा जमा की जायेगी। बैंक डी.डी. / बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंक डी.डी. / बैंकर चैक कम्पनी के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन-पत्र संलग्न चालान, बैंक डी.डी. तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा बैंक में / कम्पनी के कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
32. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना कम्पनी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से देंगे। पते में परिवर्तन की विधिवत सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में कम्पनी द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। कम्पनी द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में कम्पनी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर कम्पनी के संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

33. वित्तीय सुविधायें:— कम्पनी से मकान लेने वाले आवंटी संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् कम्पनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र / त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जावेंगे।
34. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं की पहचान एवं निवास के पते का प्रमाण तथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित / सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
35. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।
36. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ता को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।
37. कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरा हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन / आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताये नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी, तथा कम्पनी के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
38. कम्पनी द्वारा समय-समय पर मांगे गये शपथ पत्र / वचनबद्धता / अन्य आवेदन / अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो लगाते या चिपकाते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
39. राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं नियंत्रण कमेटी (State Level Sanctioning and Monitoring Commitee) द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय मान्य होंगे।
40. पंजीकरण राशि डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा ही स्वीकृत की जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई नकद लेन देन नहीं होगा।
41. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र
- (क) आय प्रमाण-पत्र एस.डी.ओ. / तहसीलदार नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका के समक्ष अधिकारी द्वारा सत्यापित देना होगा।
- (ख) आवेदक के स्वयं का, पत्नी का, उनके आश्रित का राजस्थान के किसी शहर में आवास या भूखण्ड नहीं होने बाबत् शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- (ग) आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होने का बोनाफाइड प्रमाण-पत्र
- (घ) पहचान-पत्र की सत्यापित प्रति

- (ण) आधार कार्ड की सत्यापित प्रति
 (च) देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट
 (छ) सोसायटी की देय राशि के लिए शपथ-पत्र।
 (झ) अन्य प्रमाण-पत्र/जो भी हो।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. कोई भी व्यक्ति को कम्पनी नकद लेने के लिए अधिकृत नहीं करती है। कृपया लेनदेन नहीं करें।
2. आवास/आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
3. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर जिला की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
4. कम्पनी द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को अधिकृत नहीं करती अर्थात निर्धारित मूल्य के अलावा कोई प्रीमियम राशि किसी को न दे।
5. लॉटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
6. यह योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत है। अतः राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रावधान लागू होंगे।

शपथ पत्र - 1

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 जाति हाल निवास
 जिला में निवास करता/करती हूँ।

1. राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015' के अन्तर्गत **Samanvay Buildhome** की आवासीय परिव्योजना को भलि - भांति जानकर, पढ़ कर मेरे द्वारा आवेदन पत्र आयवर्ग आवास हेतु भेजा जा रहा है। मैं शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार करता/करती हूँ कि :-
2. पारदर्शिता के आधार पर कम्पनी.....द्वारा निकाली गई लॉटरी में योजना के किसी भी तल पर जो आवास मुझे आवंटित होगा, यह स्वीकार होगा।
3. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तों का पालन किया जायेगा।
4. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में आवास आवंटित होने पर विभिन्न चरणों में देय राशि उचित समय पर मेरे द्वारा अदा की जायेगी।
5. मेरे/हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध मेरे/हमारे आवास को प्रोविजनल आवंटन/आरक्षण/मूल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, तो उसमें हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि मैं पंजीकरण, 2016 में आय वर्ग में आवास हेतु आवेदन-पत्र संख्या के द्वारा आवेदन किया है।
7. यह कि मेरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बन्धित योजना के नियमों का अध्ययन कर लिया गया है एवं मेरे फ्लैट आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुझे फ्लैट प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
8. यह कि उक्त आवेदन - पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात् कम्पनी द्वारा समय-समय पर आवास से सम्बन्धित मांग, मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है, तो कम्पनी बिना सूचना दिये पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने की अधिकारी होगी।
9. यह कि मेरे स्वयं की गलती के कारण कम्पनी द्वारा उक्त पंजीकरण/आवंटन निरस्त किया जाता है। तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

(नोटरीज्ज सत्यापन)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

पैरा नं 1 से 9 मेरी निजी ज्ञान में सही है। कोई भी तथ्य छुपाया व घटाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करे।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

शपथ पत्र - 2

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
सशपथ प्रमाण करता/ करती हूँ कि-

1. मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझे पर आश्रित संबंधी के पास राजस्थान मे फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक प्लैट/भुखण्ड नहीं हैं।
3. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं **Samanvay Buildhome** द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो कम्पनी बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है। तथा ना ही कोई बात कम्पनी के संज्ञान में आती हैं तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगा।
5. यह कि मेरे द्वारास्थिति कम्पनी की योजना में भी आवेदन किया गया है। यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूंगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लूंगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ
कि उपरोक्त पेरा 1 से 5 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतय सत्य है, मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(नोटरीज्ज सत्यापन)

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

शपथ पत्र - 3

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
आयुवर्ष, जाति निवास
..... सशपथ बयान करता/ करती हूँ।

1. कि मेरे परिवार की वर्ष 2014-15 में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार थी:-
अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि, दुकान या अन्य स्रोतों से वार्षिक आय
..... रुपये थी।
ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा, कृषि एवं अन्य स्रोतों से वार्षिक आय..... रुपये थी।
स. कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में परिवार की कुल आमदनी रुपये थी।

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी अनुसार सत्य है, तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है।
ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

ए.स.डी.ओ./तहसीलदार
सत्यापित

वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण-पत्र


यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था
(विभाग/संस्था का नाम) में(पद का नाम) पर पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र
सरकार राजस्थान/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी इनकी सकल
वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2014-15 में रुपये है।

हस्ताक्षर
आवेदन प्राप्तकर्ता

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था का नाम


2 BHK - LUXURIOUS

Flat Area : 600 Sq.ft.




2 BHK - SMART

Flat Area : 557 Sq.ft.



1 BHK

Flat Area : 383 Sq.ft.




आरस

Affordable Housing

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत,
फ्लैट लेने के लाभ:

- फ्लैट खरीदने के लिए एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लाभार्थी को बैंक से फाइनेन्स की सुविधा उपलब्ध है।
- उक्त योजना के फ्लैटों में, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अन्तर्गत, 6.5% ब्याज सब्सिडी (6,00,000/-रुपये तक के लोन पर), आपके लोन खाते में नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB / HUDCO) द्वारा दी जायेगी।
- उक्त योजना के फ्लैट खरीदने से आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है। आपको निर्माण के लिये संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है।
- कम्पनी द्वारा निर्मित फ्लैटों का डिज़ाइन, अनुभवी वास्तुकारों द्वारा बनाया जाता है तथा निर्माण अनुभवी अभियन्ताओं की देख रेख में बनाया जाता है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाओं एवं वातावरण का ध्यान रखा जाता है।
- कम्पनी के फ्लैट मंहगी प्राइम लोकेशन पर होने के बावजूद उक्त योजना में होने के कारण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराये जाते है।
- इस योजना के अन्तर्गत EWS फ्लैट एवं LIG फ्लैट की स्टांप ड्यूटी की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं निर्धारित दरों पर देय होगी।



DISTANCES

- 1 MINS FROM AJMER ROAD.
- 10 MINS FROM SODALA METRO STATION.
- 8 KMS BEFORE TOLL PLAZA.
- CLOSE TO DPS, JAISHREE PERIWAL SCHOOL,
- JK LAKSHMIPAT UNIVERSITY.
- CLOSE TO MAHINDRA SEZ.

COMPLETED PROJECTS



ATMOSPHERE PRIME
SEZ, Ajmer Road



ATMOSPHERE
SEZ, Ajmer Road



BHARAT RESIDENCY
Vaishali Nagar



MANNAT - IV
Vaishali Nagar

SAMANVAY BUILDHOME

+91 141 4915129

info@samanvaygroup.org

www.samanvaygroup.org

Plot # 98, Neminagar Extension
Vaishali nagar, Jaipur 302021